



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई.मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2784/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक..22..अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	बसंत देवांगन पता- बेहिन्द पकंज गार्डन, खोखो पारा, रायपुर	श्री के0पी0देवांगन	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
2	कु. मनीषा मण्डावी पता- D. No-DS III/207, किरन्दुल,	श्री बी0एस0मण्डावी	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
3	कु. रामेश्वरी पता- D/O श्री कुन्तालाल नाग, सिचाई कालोनी-नगरी, पो.-नगरी, जिला-धमतरी	श्री कुन्तालाल नाग	जनपद पंचायत गीदम
4	पुरुषोत्तम पता- टाइप-2, डी.एस/जी एफ.-101 बचेली	श्री जयसिंह दरो	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
5	अजयसिंह बिंझवार पता- द्वारा:- योगेश कुमार यादव (स्टेनो) जिला न्यायालय दन्तेवाड़ा	श्री छेडूराम बिंझवार	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
6	पूर्णेन्द्र कुमार नेताम पता- 257/C रिसाली सैक्टर भिलाई,	श्री मयाराम नेताम	जनपद पंचायत सुकमा
7	राकेश कर्मा पता- क्वा. नं. 11/688 एफ 04 कालोनी, पोस्ट-बचेली, जिला-दन्तेवाड़ा, पिन-494553	श्री चुल्लाराम कर्मा	जनपद पंचायत सुकमा
8	ओमप्रकाश ठाकुर पता- ग्राम+पोस्ट-बडेडोगर, तहसील-फरसगांव, जिला-बस्तर	श्री फूलसिंह ठाकुर	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
9	राजकुमार मरकाम पता- ग्राम+पोस्ट-विश्रामपुरी, जिला-बस्तर	श्री मोतीराम मरकाम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
10	निर्मल सिंह पता- पिता श्री मोहन सिंह धुव्र, ग्राम-परसट्टी, पोस्ट-बम्हनी, जिला-महासमुन्द	श्री मोहन ध्रुव	जनपद पंचायत सुकमा

11	यादप्रसाद जांगडे पता- ग्राम + पोस्ट - भटगॉव, तहसील -पथरिया, जिला - बिलासपुर	श्री देवचरण जांगडे	जनपद पंचायत सुकमा
12	श्रीमति संगीता सिन्हा पता- बध्व श्री चतुर सिंह सिन्हा, ग्राम+पोस्ट- हल्दी (सिकोसा) तहसील- गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग	श्री सुरजीत सिन्हा	जनपद पंचायत सुकमा
13	रुतेश्वरी निषाद पता- D/O श्री चम्मालाल निषाद, आर.टी.ओ. ऑफिस दन्तेवाड़ा	श्री चम्मालाल निषाद	जनपद पंचायत छिन्दगढ
14	दीपक कुमार कौशिक पता- ब्लॉक-2/C सड़क-53, सेक्टर- 6 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग, पिन-490006	श्री रमाशंकर कौशिक	जनपद पंचायत गीदम
15	राकेश कुमार साहू पता- रिसाली श्यामनगर -भिलाई जिला -दुर्ग	श्री मोहनलाल साहू	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
16	कु. प्रमिला भैसवाडे पता- ग्राम+पोस्ट-बस्ती बाराद्वार, जिला-जांजगीर-चाम्पा, पिन नं.-495687	श्री रामलाल भैसवाडे	जनपद पंचायत कटेकल्याण
17	रितु पाल पता- पिता श्री उमेश पौल, नेया सहिद पार्क कुमारहपारा जगदलपुर, जिला-बस्तर	श्री उमेश पाल	जनपद पंचायत छिन्दगढ
18	सूरज कुमार जायसवाल पता- राजु प्रोविजन स्टोर, रलवे कालोनी बचेली, जिला-दन्तेवाड़ा	श्री गौरीशंकर जायसवाल	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
19	अशोक कुमार पता- न्यु शांतिविहार कालोनी डगनिया दुर्गा आटा चक्की रायपुर, जिला-रायपुर	श्री आर0एस0 कुर्रे	जनपद पंचायत कोन्टा
20	राहुल देव पता- पोस्ट-जामगांव, ब्लॉक-पाटन, जिला-दुर्ग	श्री जी0एस0 चन्द्राकर	जनपद पंचायत कोन्टा

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 11820/- रुपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा ।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।

8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **03.11.2010** तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

दन्तेवाड़ा, दिनांक.....अक्टूबर, 2010

पृ. क्रमांक/ /जि.पं./**MG NREGA**/स्था./ 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ। संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई-मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2785/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक...22.अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला पंचायत कार्यालय में प्रचार-प्रसार सहायक अधिकारी के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	ओमकार मण्डावी पता- शा.उ.मा.वि. लोहण्डीगुडा के समाने देवांगन काटेज उसीबेडा पो. लोहण्डीगुडा जिला- बस्तर (छ0ग0) पिन कोड- 494010	श्री बुधन सिंह मण्डावी	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 13700/- रुपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को

शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **03.11.2010** तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

दन्तेवाड़ा, दिनांक.....अक्टूबर, 2010

पृ. क्रमांक/ /जि.पं./**MG NREGA**/स्था./ 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ। संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई.मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2783/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक...22.अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में सहायक प्रोग्रामर के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	दुष्यन्त कुमार साहू पता- द्वारा: श्री एन.पी. साहू, क्वा.नं. 22, आर.ई.एस. कालोनी आवराभाटा दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	श्री नारायण प्रसाद साहू	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
2	श्याम सुन्दर डाहिरे पता- मारुती नंदन मेडिकल डॉ.अंबेडकर भवन के पास जरहानभाटा बिलासपुर(छ0ग0)	श्री के0आर0 डाहिरे	जनपद पंचायत कटेकल्याण
3	प्रदीप देहारी पता- प्रदीप कुमार देहारी, ग्राम+पो0-बारदेवरी(चौकपरा), जि.+त.-कांकेर	श्री आर0जी0 देहारी	जनपद पंचायत सुकमा
4	रामकृष्ण अहिरवार पता- द्वारा: आर.सी. सुमन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा	श्री सुम्नारे प्रसाद अहिरवार	जनपद पंचायत कोन्टा

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 12740/- रुपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।

8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **03.11.2010** तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

दन्तेवाड़ा, दिनांक.....अक्टूबर, 2010

पृ. क्रमांक/ /जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ। संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई-मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2782/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक...22.अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जनपद पंचायत कार्यालय में **कार्यक्रम अधिकारी** के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	कु. प्रतिक्षा चन्द्राकर पता- मकान नंबर 157, रहमान गली, पथरागुडा जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	स्व. श्री एस0क0 चन्द्राकर	जनपद पंचायत गीदम
2	अवधेश कुमार नेताम पता- क्वा.नं. 8/स्ट्रीट 37 सेक्टर-6, भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0)	श्री बी0एल0नेताम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 13700/- रुपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **03.11.2010** तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)
भा0प्र0से0
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/ /जि.पं./**MG NREGA**/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक.....अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ। संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई-मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2672/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक..12.अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर** के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	कु. कोमल सोढ़ी, पता- मेन मार्केट किरन्दुल मकान नम्बर 127 जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	श्री सोनूराम सोढ़ी	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
2	कु. मीनाक्षी नेताम पता- ग्राम आनंदपुर पो.आ. चिटौद, तह. गुरुर जिला दुर्ग (छ0ग0)	श्री सुखदेव सिंह नेताम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
3	कु. रामेश्वरी गावड़े पता- द्वारा जी.एस. कांगे, क्वा.नं. एच/30 एस.पी. ऑफिस के पास दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	श्री रूपसिंह गावड़े	जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा
4	कु. नोमिन बाई पता- टाईप-2/डीएस/224 बचेली जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	श्री राधेलाल ठाकुर	जनपद पंचायत कोन्टा
5	कु. प्रीतिसिंह कश्यप पता- स्टेट बैंक के पास, दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा(छ0ग0)	श्री पी0एस0 कश्यप	जनपद पंचायत कटेकल्याण
6	कु. अनिता नाग पता- क्वा.नं. 183/डीएस/3 किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा(छ0ग0)	श्री जे0आर0 नाग	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
7	कु. ललिता मण्डावी पता- ग्राम चिचमर्रा पो. आसुलखार तह. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर(छ0ग0)	स्व.श्री नरसिंह मण्डावी	जनपद पंचायत सुकमा
8	भारती पता- कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय के पास, नयामुण्डा रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 12 जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0)	श्री पचकौड़राम	जनपद पंचायत गीदम

9	श्री कमलेश कुमार साहू पता- ग्राम जरौद थाना आरंग, जिला रायपुर (छ0ग0)	स्व. श्री हीरालाल साहू	जनपद पंचायत कोन्टा
---	---	------------------------	--------------------

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

16. संविदा पर 8080/- रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
17. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
18. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
19. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
20. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
21. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
22. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
23. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
24. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
25. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
26. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
27. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
28. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **26.10.2010** तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
29. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
30. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

10. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
11. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
12. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर ।
13. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
14. चयन समिति के सदस्य श्री
15. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
18. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई.मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2673/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक..12..अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में लेखापाल के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	श्री दीप कुमार नाग, पता- स्टार पेट्रोल पंप के पीछे, दंतेश्वरी वार्ड जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	श्री परदेशी राम नाग	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
2	कु. वंदना राजपूत पता- न्यू फारेस्ट कालोनी, बंगला पारा नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ0ग0)	श्री चन्दूलाल राजपूत	जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा
3	श्री शुभकरण सिंह पता- क्वा.नं. एफ-1/38 व्ही.के. कॉलोनी पो.आ. ग्रासीम सिमेन्ट रावन जिला रायपुर (छ0ग0)	श्री भानूकुमार सिंह	जनपद पंचायत कटेकल्याण
4	श्री महेश्वर कुमार पता- ग्राम गुदुम पोस्ट गुदुम थाना डौण्डी तहसील बालोद जिला दुर्ग(छ0ग0)	श्री उदेराम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
5	कु. ललिता पता- क्वा. नं. 9/बी सडक नम्बर 38 सेक्टर 7, भिलाई नगर जिला दुर्ग(छ0ग0)	श्री जगताराम नेताम	जनपद पंचायत गीदम
6	श्री दिलीप कुमार सोरी पता- शास. पोस्ट मेट्रिक बालक अजजा छात्रावास रामबाग धमतरी जिला धमतरी(छ0ग0)	श्री मनोहर लाल	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
7	श्री दिनेश कुमार पता- पॉकेट 8/ए मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर जिला दुर्ग(छ0ग0)	श्री जेटूराम	जनपद पंचायत कुआकोण्डा

8	श्री केमन लाल पता- ग्राम कोटेरा पोस्ट संबलपुर तह. डोंडी लोहरा जिला दुर्ग(छ0ग0)	श्री भोलाराम विश्वकर्मा	जनपद पंचायत सुकमा
---	--	-------------------------	-------------------

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 8080/- रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **26.10.2010** तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर ।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई:मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in



// आदेश //

क्रमांक/2674/जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

दन्तेवाड़ा, दिनांक..12..अक्टूबर, 2010

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क्रमांक 2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए./167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में भृत्य के पद पर निम्न शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पदस्थापना की गई है।
1	श्री पिताम्बर मांझी, पता- रेल्वे कालोनी दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	श्री बहादुर मांझी	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
2	श्री सूरज कुमार, पता- कैलाश नगर दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	स्व. श्री घनश्याम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
3	श्री अंजन कुमार नागे, पता- रामपुर केम्प किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)	श्री डी0आर0 नागे	जनपद पंचायत कटेकल्याण
4	कु. जयबती कश्यप, पता- कन्या छात्रावास, आई.टी.आई. जिला बस्तर (छ0ग0)	श्री लक्ष्मण राम कश्यप	जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें :-

1. संविदा पर 5530/- रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी। तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति **28/02/2011** तक के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।

8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम मान्य होंगे। अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात संविदा कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। यदि अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक **26.10.2010** तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(पी0 दयानन्द)

भा0प्र0से0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

दन्तेवाड़ा, दिनांक.....अक्टूबर, 2010

पृ. क्रमांक/ /जि.पं./MG NREGA/स्था./ 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
5. चयन समिति के सदस्य श्री
6. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
7. सहायक परियोजना अधिकारी, म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतको सूचनार्थ। संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा